रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-78 REGISTERED NO. D-(D)—78

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 7, 1978 (आश्विन 15, 1900)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7, 1978 (ASVINA 15, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग III—खण्ड 4
PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

कृषि ऋण विभाग केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई 400 018, दिनांक 19 सितम्बर 1978

क्रमांक ए० सी० डी०—46/ए० 18—78/9—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए० की उप धारा (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 56 के खंड (Za) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि निम्नलिखित सहकारी बैंक उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सहकारी बैंक नहीं रह गये हैं।

क्र० सं०	प्राथमिक सहकारी बैंक का नाम	राज्य
1	2	3
1.	दि गुजरात स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन कच्छ डिवीजन एम्प्लाईज को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि० वानियावाट गेट, भुज, कच्छ।	गुजरात
2.	दि गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स को-ऑपरेटिव सोसइटी लिमिटेड नं० के० 191 कांगाला।	केरल
3.	मट्टनचेरी को-आपरेटिव सोसाइटी लि० नं० 687, कोचीन-1।	केरल
4.	दी कोट्टायम् डिस्ट्रिक्ट पोस्टस् एण्ड टेलीग्राफस एम्प्लाईज को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड नं० के० 343, कोट्टायम्—1	—वही—
5.	दि यू० पी० सिविल एकाउन्ट्स आफिस स्टाफ को-आपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड कार्यालय महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।	उत्तर प्रदेश
6.	दि हाई कोर्ट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद	—वही—

के० सुब्बा रेड्डी,
अपर मुख्य अधिकारी

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

मद्रास-600034, दिनांक 31 अगस्त 1978

सं० 8 एस० सी० ए० (1)/6/78-79—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10(1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण-पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं :—

क्र० सं०	स० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1	2	3	4
1.	4703	श्री० पी० एस० सुब्रामनिया अयर, ए० सी० ए० 15, वैन्कटरामन स्ट्रीट सिरिनिवास एवेन्यू मद्रास-600028	1-4-78
2.	7460	श्री० ए० अरजुना पाई, एफ० सी० ए० नं० 4, I क्रास रोड, कस्तूरिबा नगर, अदायार मद्रास-600 020।	31-7-78
3.	8662	श्री० वी० सी० सिरिनिवासा रंगन एफ० सी० ए०, इन्टरनल आडिटर सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया 16/17, सैकन्ड लाईन बीच मद्रास-600 001।	19-6-78
4.	10092	श्री० एल० आर० एस० रामामूर्थी ए० सी० ए० आफिसर-फाईनैन्स, तमिलनाडू इन्डस्ट्रियल इन्वैस्टमैन्ट कारपोरेशन लि० 26, वाईटस रोड, मद्रास-600 014	31-7-78
5.	15717	श्री के० प्रभाकारा रैडी, ए० सी० ए० 3-468-3, लक्ष्मिपुरम निलोर।	1-4-78
6.	18546	श्री बाबू गुरु थिरुमलाई सामी, ए० सी० ए० नं० 97, दलवाय स्ट्रीट वादेवीस्वरम, नागरकायल-629 002।	31-7-78
7.	18826	श्री सी० रामाचन्द्रा राव, ए० सी० ए० मकान नं० 81, एम० आई० जी० एच० महदीपतनम, हैदराबाद-500 028।	1-11-77
8.	18830	श्री सोन्दूर अनन्या, ए० सी० ए० नं० 919, माथरू छाया 13 मेन, 4 क्रास हनुमन्थ नगर बेन्गोलोर-560019	31-7-78
9.	19379	श्री टी० एम० उदुभान अलि, ए० सी० ए० रूम नं० 3, सिद्दीकी मैन्शन टैपाकुलम स्ट्रीट, ट्यूटीकरन 628 002।	1-4-78
10.	19489	श्री एस० शिरीफ हुसैन, ए० सी० ए० हाउस नं० V/174, कीज़ातु, कोलैक्टौरेट पो० आ० कोट्टायम-2	31-7-78
11.	19500	श्री एन० एस० सन्करन, ए० सी० ए०, 17-बी० कस्टमस कालोनी बसन्त नगर मद्रास-600 090	31-7-78

सं० 5 एस० सी० ए० (1)/8/78-79—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4 एस० सी० ए० (1)/12/75-76 दिनांक 20 मार्च, 1976 और 4 एस० सी० (1)/8/77-78 दिनांक 13 फरवरी, 1978 के संदर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुन: स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	तिथि
1.	5968	श्री के० रामामूर्थी, ए० सी० ए० चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, 57, महदीपतनम, हैदराबाद-500028	5-8-78
2.	7093	श्री एम० कृष्णामूर्थी, ए० सी० ए० रीजनल इन्टरनल आडिटर तान्जानिया काटन अथोरिटी पोस्ट बाक्स 61, म्वान्जा तन्जानिया ईस्ट अफ्रीका।	16-9-78

पी० एस० गोपालाकृष्णन्, सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 19 सितम्बर 1978

सं० एक्स-11/14/5/78-यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, महानिदेशक ने 27 अगस्त, 1978 ऐसी तारीख निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम, 1951 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ बिहार राज्य

सरकार की अधिसूचना सं० 1/बीमा-1-2068/77-एल० एण्ड ई० दिनांक 1-8-1978 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे ।

सं० एक्स-11/14/5/78-(यो० एवं० वि०)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 5 के उप विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने यह निश्चय किया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1 की उपधारा (5) के अन्तर्गत जारी की गई बिहार राज्य सरकार की अधिसूचना सं० 1/बीमा-1-2068/77 एल० एण्ड ई० दिनांक 1 अगस्त, 1978 में उल्लिखित क्षेत्रों में उक्त अधिनियम के उपबन्धों का उसमें दी गई स्थापनाओं पर विस्तार करने के संबंध में 'क', 'ख' तथा 'ग' वर्गों के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 26 अगस्त, 1978 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के संबंध में प्रारम्भ व समाप्त होंगी, जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है।	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है।	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क	26-8-1978	27-1-1979	26-5-1979	27-10-1979
ख	26-8-1978	31-3-1979	26-5-1979	29-12-1979
ग	26-8-1978	25-11-1978	26-5-1979	25-8-1979

फकीर चन्द, निदेशक (योजना एवं विकास)

भारतीय जीवन बीमा निगम

भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी-वर्ग) विनियम : 1960 में संशोधन

एफ० III(IV)/51(3)/78—भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 की 31) की धारा 49 की उप-धारा (2) के खंडों (बी) और (बी० बी०) के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी-वर्ग) विनियम, 1960 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है: अर्थात्

(1) ये विनियम भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी-वर्ग) संशोधन विनियम, 1978 कहलाएंगे ।

(2) भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी-वर्ग) विनियम, 1960 में, अनुसूची II में, भाग 'E' नगर प्रतिपूरक भत्ता में, मद (i) में खंड (सी०) में, और मद (ii) में खंड (सी०) में, अमृतसर शब्द के पश्चात् दोनों खण्डों में "भोपाल" शब्द सम्मिलित कर दिया जाए।

जे० माथन, प्रबन्ध निदेशक

वस्त्र निर्माण समिति

(भारत सरकार, वाणिज्य, नागरी प्रदाय तथा सहकारिता मंत्रालय),

बम्बई-400009, दिनांक 16 सितम्बर 1978

क्रमांक 80(16)/78-ए० डी०—वस्त्रनिर्माण समिति अधिनियम, 1963 ई० की (1963 ई० का 41) धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड, (घ) तथा (ङ) के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वस्त्रनिर्माण समिति, केन्द्र सरकार की पूर्वसंमति से, इसके द्वारा निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभण तथा प्रयुक्ति :—(1) ये विनियम मिल निर्मित तथा विद्युत करघा (पावरलूम) सूट निर्मित वस्तु (रूमाल) निरीक्षण विनियम, 1978 ई० कहलायें ।

(2) ये उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

(3) ये निर्यातार्थ मिल निर्मित तथा विद्युत्-करघा (पावरलूम) सूत निर्मित रूमालों को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन विनियमों में यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तो—

(क) "समिति" का तात्पर्य वस्त्र निर्माण समिति अधिनियम, 1963 ई० की (1963 ई० का 41) धारा 3 के अधीन स्थापित, वस्त्रनिर्माण समिति से है;

(ख) "निरीक्षक" का तात्पर्य माल का निरीक्षण करने के लिये प्रतिनियुक्त व्यक्ति से है;

(ग) "लाट" का तात्पर्य एक खास प्रकार तथा गुण के माल की मात्रा से है;

(घ) "प्रमुख दोष" का तात्पर्य निम्न से है—

(एक) कच्चे माल, काउन्ट, ऐंठन, चमक, रंग, रंगत या धागे के अंतरण या पार्श्वस्थ

सूत के समूहों में फरक के कारण नजर आने वाली धारी;

(दो) दो से अधिक पार्श्वस्थ धागे (तानक या बानक क्रम में)खंडित या छुटे हुए तथा 5 सें० मी० से अधिक दूर तक उसी स्थिति में है;

(तीन) सुस्पष्ट नजर आने वाला तानक या बानक सूत के स्लाब;

(चार) तेल का या अन्य कोई धब्बा जो सुस्पष्ट दिखाई देता हो तथा जिसे धोकर साफ नहीं किया जा सकता;

(पांच) सुस्पष्ट खंडित पैटर्न;

(छः) खराब किनारी,

(सात) बाहरी पदार्थ आमतौर पर रूई के रेशों या रद्दी के बुनत में आने के कारण पड़ी गांठें;

(आठ) सुस्पष्ट दिखाई देने वाला तेल बानक सूत;

(नौ) त्रुटिपूर्ण गोटा लगाना या सीना जो 2.5 सें० मी० तक उसी स्थिति में है;

(दस) धुंधल या गहरा धब्बा;

(ग्यारह) धब्बेदार या धारीदार या आसमान रंगाई;

(बारह) रंग की पट्टी;

(तेरह) छपाई स्क्रीन या रोल के असंरेखण के कारण छपाई दोष;

(चौदह) असमान छपाई या रंगाई जो सुस्पष्ट नजर आती है;

(पंद्रह) विलम्बित धागे के कारण उत्पन्न सुस्पष्ट छपाई दोष;

(सोलह) कपड़े में सिलवट होने के कारण छपाई दोष;

(सत्रह) डाक्टर धब्बा (Doctor's slain) या रेखा;

(अठारह) यूनिट का आकार जो कि स्पष्ट रूप से चौकोर या आयताकार न हो; तथा

(उन्नीस) उसी प्रकार की तथा उसी विस्तार में अन्य कोई त्रुटि;

(ङ) "माल" का तात्पर्य मिल निर्मित या बिजली करघा (पावर लूम) सूत निर्मित रूमाल से है, परंतु इसमें अवमानक माल सम्मिलित नही है;

(च) "गौण दोष" का तात्पर्य ऐसे दृश्य दोष से है जिसे "प्रमुख दोष" या "भारी दोष" की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है;

(छ) "भारी दोष" का तात्पर्य निम्न से है :—

(एक) अपरिष्कृत उलझे सूत तो वस्त्रखंड में आद्योपान्त नजर आते है;

(दो) कुचले जाने के कारण (स्मैश) बुनावट का सुस्पष्ट संविदारण;

(तीन) सुस्पष्ट सुराख, कर्तन या खोंच;

(चार) जहां किनार अपेक्षित है, वहां उसका न होना;

(ज) "अवमानक माल" का तात्पर्य त्रुटिपूर्ण माल से है जिसके अलग अलग प्रत्येक नग या पैकेट पर (उन सब स्थानों पर जहां अन्य छापे लगाए गए हैं) "अवमानक" शब्द पूरा छापा गया है तथा जो किसी संक्षेप या संकेत शब्द में नहीं लिखा गया है ।

3. माल निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करना :—(1) निर्माता या यथास्थिति, निर्यातक माल को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने से पहले, उसमें से ऐसे माल को निकालने के लिये जो अपेक्षित मानक के अनुरूप नहीं है तथा ऐसे ढीले धागों, उलझे सूतों, साफ करने योग्य धब्बों, आदि को सुधारने हेतु जिन्हें सुधारा जा सकता है, माल का स्वयं निरीक्षण करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(2) अबद्ध या पैक किये हुए पूर्व निरीक्षित माल को ऐसी शेड में निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जायेगा जहां अच्छा प्रकाश हो।

(3) निर्माता या, यथास्थिति, निर्यातक निरीक्षण के लिये ऐसे प्रपत्र में आवेदन करेगा जिसे समिति द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

4. निरीक्षण निकष :—(1) माल का निरीक्षण निम्न विनिर्देशों तथा दोषों, दोनों के संबंध में किया जाएगा, अर्थात् :—

(एक) विदेशी क्रेता द्वारा अपनी संविदा में अनुबद्ध विनिर्देश विवरणों के बारे में उसकी अपेक्षाओं या संविदा में वाणत गुण के क्रमांक निर्धारित करने वाले विनिर्देश विवरणों के अनुसार माल का निरीक्षण किया जायेगा।

(दो) जहां विनिर्देश विवरण अनुबद्ध नहीं किये गये हैं परंतु निरीक्षण के नमूने के संबंध में संविदा की गई है वहां ऐसे नमूने के आधार पर माल का निरीक्षण किया जायेगा ।

(2) रंजित, छपे हुए या रंगीन बुने कपड़ों के बारे में, धुलाई के बाद रंग के पक्केपन की परीक्षा 1966 के भारतीय मानक 765 (परीक्षा 4) या तत्सम मानक के मुताबिक की जायेगी ।

(3) ऐसे प्रकरण में जहां विदेशी क्रेता नौप्रेषण से पहले अन्य निजी एजेन्सियों को माल के निरीक्षण के लिये नियुक्त करता है, तो निम्न परिस्थितियों में समिति द्वारा माल का पुनर्निरीक्षण नहीं किया जायेगा —

(एक) यदि विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित गुण मानक समिति द्वारा उल्लिखित न्यूनतम गुण मानक से अधिक कठोर है;

(दो) यदि उक्त निजी एजेन्सी द्वारा अपनाए गए मानक तथा निरीक्षण की पद्धति समिति को स्वीकार्य है ।

(4) ऐसे प्रकरण में जहां विदेशी सरकारी एजेन्सी द्वारा माल खरीदा जा रहा है यदि उस सरकारी एजेन्सी का प्रतिनिधि नौप्रेषण से पहले माल का निरीक्षण करता है तथा माल के गुण से उसका समाधान हो जाता है, तो माल का समिति द्वारा पुनर्निरीक्षण नहीं किया जायेगा यदि इस संबंध में उस प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक परेषित माल के बारे में प्रमाणपत्र समिति के पास प्रस्तुत किया गया है।

5 निरीक्षण के लिये प्रति चयन —(1) जब माल अबद्ध रूप में पेश किया जाता है, तो —

(क) माल के गुण के निरीक्षण के लिये, अर्थात्, बुनाई संबंधी दोषों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिये निरीक्षक, 'निरीक्षणार्थ' पेश की गई यूनियों की कुल संख्या में से 5% यूनिटें बीच-बीच में से चुनेगा, परन्तु शर्त यह है कि यूनिटें कम से कम 20 और अधिक से अधिक 100 होनी चाहिए

(ख) विस्तृत निरीक्षण के लिये चुनी गई यूनिटों में से 12 यूनिटों की रचनात्मक विवरणों के लिये परीक्षा की जायेगी, अर्थात् प्रति वर्ग इंच धागे लंबाई, चौड़ाई तथा वजन प्रति वजन;

(2) जब माल पैक करके पेश किया जाता है, तो—

(क) निरीक्षण के लिये प्रस्तुत की गई प्रत्येक 5 गांठों, केसों या गत्ताबक्सों या उसके भाग में से निरीक्षक एक-एक गांठ, केस या गत्ताबक्स बीच-बीच में से चुनेगा, परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक लाट में से अधिक से अधिक 50 गांठें या केस अथवा गत्ताबक्स चुने जाएंगे' निरीक्षण के लिये खोली गई गांठों या केसों अथवा गत्ताबक्सों में से, निरीक्षण के लिये प्रस्तुत की गयी यूनिटों की कुल संख्या में से, माल के गुण के निरीक्षण के लिये, अर्थात् बुनाई संबंधी दोषों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिये निरीक्षक, 5% यूनिटें बीच-बीच में से चुनेगा, परन्तु शर्त यह है कि ये यूनिटें कम से कम 20 और अधिक से अधिक 100 होनी चाहिए।

(ख) विस्तृत निरीक्षण के लिये चुनी गई यूनिटों में से 12 यूनिटों की रचनात्मक विवरणों के लिये परीक्षा की जायेगी, अर्थात् प्रति वर्ग इंच धागे, लम्बाई चौड़ाई तथा वजन प्रति वजन।

6 परीक्षा के लिये नमूने निकालना — प्रत्येक लाट में से प्रयोगशाला परीक्षा के लिये कम से कम 3 यूनिटें नमूने यूनिटों के लिये निकाली जाएंगी।

7 अलग-अलग प्रकार के दोषों पर काले प्वाइंट के निशान लगाया :—भिन्न-भिन्न प्रकार के दोषों पर निम्नरीत्या निशान लगाया जायेगा, अर्थात् —

(एक) गौण दोष के लिये एक काले प्वाइंट का निशान;
(दो) प्रमुख दोष के लिये दो काले प्वाइंट का निशान;
(तीन) भारी दोष के लिये चार काले प्वाइंट के निशान;

8. रद्द करने का निकष :—निम्न किन्हीं कारणों वश विनियम 13 के अधीन प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लाट को रद्द किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) विस्तृत निरीक्षण के लिये चुने गये नमूने में यदि काले प्वाइंट के निशान की संख्या निम्न-सारणी में दर्शायी गई संख्या से अधिक है :—

सारणी

निरीक्षण के लिये चुनी गई यूनिटों की संख्या	अनुज्ञेय काले निशान प्वाइंट की संख्या।
19 तक	2
20 से 39	4
40 से 59	6
60 से 79	8
80 से 100	10

(ख) यदि रचनात्मक विवरणों के लिये चुनी गई यूनिटों से प्राप्त औसतन यूनिट में (1 इंच/2.54 से० मी०)

(एक प्रतिवर्ग धागे या) (दो) प्रति इंजन या (तीन) लम्बाई या चौड़ाई, विदेशी क्रेता की संविदा में अनुबद्ध विशिष्टियों के विवरणों के या अनुमोदित नमूने के अनुरूप नहीं है;

(ग) यदि संविदा में उल्लिखित किन्हीं अन्य विशिष्टियों के बारे में निष्कर्ष, संविदा की शर्तों के अनुसार अस्वीकार्य है;

(घ) यदि धुलाई के बाद रंग के पक्केपन की परीक्षा के लिये लिया गया नमूना भारतीय मानक संस्था के वर्ग 3 के बराबर या उससे अच्छा नहीं ठहरता।

9. अपील की प्रक्रिया :—विनियम 8 में निर्दिष्ट लाट के निरीक्षक द्वारा रद्द किये जाने की अवस्था में, यदि संबंधित पक्षकारों का निरीक्षण के निष्कर्ष से समाधान नहीं होता है, तो उन्हें अपील करने का अधिकार होगा। ऐसे प्रकरणों में वे सब वरिष्ठ अधिकारी के पास अपील कर सकेंगे जो उस माल का पुनः निरीक्षण करेगा और संबंधित लाट की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता के बारे में अपना निर्णय देगा। यदि लाट को फिर रद्द किया जाता है तथा यदि पक्षकार अब भी उससे परिवेदित है, तो वे उच्च अधिकारियों के पास अपील कर सकेंगे।

10. अनुज्ञेय छूट :—यह अवधारण करते समय कि क्या माल संविदा में अनुबद्ध या अनुमोदित नमूने की रचना और अन्य विशिष्टियों से मेल खाता है, या नहीं निम्न छूट दी जायेगी, यदि विदेशी क्रेता की संविदा में इससे भिन्न छूटों का उल्लेख न हो, अर्थात् :—

(क) धागे के काऊन्ट : ± 5%

(ख) धागों के प्रति यूनिट लम्बान (1 इंच/2.54 सें० मी०) ± 5%

(ग) वजन प्रति इंजन : —5 तथा + के लिये कोई मर्यादा नहीं।

(घ) लम्बाई तथा चौड़ाई : —0.63 सें० मी०/¼ इंच +1.27 सें० मी० /½ इंच

टिप्पणी :—उपर्युक्त छूट उन सब यूनिटों के औसत निष्कर्षों को लागू की जायेगी जिनका रचना संबंधी अपेक्षाओं को अवधारित करने के लिये वस्तुतः निरीक्षण किया गया है।

11. रचना संबंधी अपेक्षाओं को अवधारित करने के लिये निरीक्षण : रचना संबंधी अपेक्षाओं को अवधारित करते समय, निरीक्षक निम्न बातों को ध्यान में लेगा, अर्थात्—

(क) प्रति यनिट किसी एक स्थान पर लम्बाई चौड़ाई का मोजमाप;

(ख) प्रत्येक यूनिट के बारे में प्रति यूनिट लम्बाई में धागों की संख्या कितनी है, यह निश्चित करन

12. पैक करना तथा सील करना :— लाट का निरीक्षण तथा उसे पास किये जाने के पश्चात् उस पर अपेक्षित मुहर लगायी जायेगी तथा निरीक्षक के सामने भारतीय मानक संस्था के मानकों के अनुसार या, यथास्थिति, समिति द्वारा समय समय पर यथा विहित रीत्या उसकी गांठें बांधी जाएंगी या उसे केसों या गत्ताबक्सों में पैक किया जाएगा तथा इस प्रकार पैक किया गया माल निरीक्षक द्वारा सील किया जाएगा।

13. प्रमाणपत्र : (1) विनिमय 8 के अधीन जिस लाट का निरीक्षण किया गया है तथा जिसे रद्द नहीं किया गया है ऐसे प्रत्येक लाट के बारे म संबंधित पक्षकार को, समिति का अधिकारी जिसे इस निमित्त समिति द्वारा प्राधिकृत किया गया है, प्रमाणपत्र देगा।

(2) जिस माल का समिति द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है, ऐसे लाट के बारे में माल को निर्यात करने के लिये प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र निम्न परिस्थितियों में दिया जायेगा।

(एक) जहां समिति के अतिरिक्त विदेशी क्रेता द्वारा नियुक्त किसी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण किया गया है वहां उक्त एजेन्सी द्वारा निरीक्षण के निष्कर्ष समिति को प्रस्तुत किये जाने पर समिति का समाधान हो गया है कि विनियम 4 के उप-नियम (3) की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है,

(दो) जहां विदेशी सरकारी एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किया गया है, वहां उस प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण विवरण देते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह माल स्वीकार्य दरजे का है।

जी० आर० रेंजू, सचिव,
वस्त्र उद्योग समिति

वस्त्र निर्माण समिति

(भारत सरकार, वाणिज्य, नागरी प्रदाय तथा सहकारिता मंत्रालय)

बम्बई-400009, दिनांक 16 सितम्बर 1978

क्र० सं० 80(16)/78-ए० डी०—वस्त्र निर्माण समिति अधिनियम, 1963 ई० की (1963 ई० का 41) धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (घ) तथा (ङ) के साथ पठित धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र निर्माण समिति केन्द्र, सरकार की पूर्वसम्मति से, इसके द्वारा निम्न विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभण तथा प्रयुक्ति : (1) ये विनियम मिल निर्मित तथा विद्युत-करघा (पावरलूम) सूत

निर्मित वस्तु (मेज लिनन, मेजपोश तथा मेजचटाई) निरीक्षण विनियम, 1978 ई० कहलाएं।

(2) ये उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होंगी।

ये निर्यातार्थ मिल निर्मित तथा विद्युत-करघा (पावरलूम) सूत निर्मित मेज लिनन, मेज पोश तथा मेज चटाई को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन विनियमों मे यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तो—

(क) "समिति" का तात्पर्य वस्त्रनिर्माण समिति अधिनियम, 1963 ई० की (1963 ई० का 41)-धारा 3 के अधीन स्थापित, वस्त्र निर्माण समिति से है;

(ख) "निरीक्षक" का तात्पर्य माल का निरीक्षण करने के लिये प्रतिनियुक्ति व्यक्ति से है;

(ग) "लाट" का तात्पर्य एक खास प्रकार तथा गुण के माल की मात्रा से है।

(घ) "प्रमुख दोष" का तात्पर्य निम्न से है :—

(एक) वस्त्रखण्ड की चौड़ाई में 2 से अधिक आड़े बानक सूतों के छूट जाने से भरनी में अन्तराल;

(दो) कच्चे माल, काउन्ट, ऐंठन, चमक, रंग, रंगत में या बानक सूत के अंतरण मे फरक के कारण सुस्पष्ट नजर आने वाली भरनी की धारी जोकि बानक सूत के पार्श्वस्थ समूह में पायी जाये।

(तीन) टेबल की चटाई के बारे में दो से अधिक पार्श्वस्थ तानक सूत समांतर, खंडित या छूटे हुए हैं तथा 15 सें० मी०/5.91 इंच तथा 7.5 सें० मी० /2.95 इंच से अधिक दूर तक उसी स्थिति में है;

(चार) सुस्पष्ट कोर त्रुटि;

(पांच) सुस्पष्ट नजर आते वाला तानक या बानक सूत का अभाव;

(छः) तैल का या अन्य कोई धब्बा जो सुस्पष्ट दिखाई देता हो तथा जिसे धोकर साफ नहीं किया जा सकता;

(सात) सुस्पष्ट दिखाई देने वाला तेल बानक-सूत;

(आठ) सुस्पष्ट दिखाई देने वाली पतली पूनियां या फूलीदार बानक सूत;

(नौ) सुस्पष्ट अंकित पैटर्न;

(दस) खराब किनारी;

(ग्यारह) बाहरी पदार्थ आमतौर पर रूई के रेशों या रद्दी के बुनत में आने के कारण पड़ी गांठें :

(बारह) त्रुटिपूर्ण गोटा लगाना या सीना जो 2.5 सें० मी० तक उसी स्थिति में है;

(तेरह) धुंधला या गहरा धब्बा;

(चौदह) धब्बेदार या धारीदार या असमान रंगाई;

(पंद्रह) रंग की पट्टी;

(सोलह) छपाई स्क्रीन या रोल के असंरेखण के कारण छपाई दोष;

(सत्रह) असमान छपाई या रंगाई;

(अठारह) विलम्बित धागे के कारण उत्पन्न सुस्पष्ट छपाई दोष;

(उन्नीस) कपड़े में सिलवट होने के कारण छपाई दोष;

(बीस) खास कर के किनार की चुनट के कारण किनार की खराब छपाई या रंगाई;

(इक्कीस) डाक्टर धब्बा (Doctor's Stain) या रेखा; तथा

(बाईस) उसी प्रकार की तथा उसी विस्तार में अन्य कोई त्रुटि ;

(ङ) "माल" का तात्पर्य मिल निर्मित या बिजली-करघा (पावर-लूम) सूत निर्मित मेज लिनन, मेजपोश या मेज की चटाई से है, परंतु इसमें अवमानक माल सम्मिलित नहीं है;

(च) "भारी दोष" का तात्पर्य निम्न से है :—

(एक) एक से अधिक पार्श्ववर्ती तानक सूतों का छूटना तथा आद्योपान्त उसी स्थिति में होना या एक स्थान पर तीन से अधिक तानक सूतों का छूटना तथा 60 सें० मी०/23.62 इंच तक उसी स्थिति में होना या वस्त्रखंड में आद्योपान्त स्पष्ट नजर आने वाले दोहरे तानक सूत;

(दो) अपरिष्कृत उलझे सूत जो वस्त्रखण्ड में आद्योपान्त नजर आते हैं;

(तीन) कुचले जाने के कारण (स्मैश) बुनावट का सुस्पष्ट संविदारण;

(चार) सुस्पष्ट सुराख, कर्तन या खोंच;

(पांच) वस्त्रखण्ड में आद्योपान्त त्रुटिपूर्ण या क्षतिग्रस्त किनारा;

(छः) जहां किनार अपेक्षित हो वहा उसका न होना;

(छ) "अवमानक माल" का तात्पर्य त्रुटिपूर्ण माल से है जिसके अलग अलग प्रत्येक नग या पैकेट पर (उन सब स्थानों पर जहां अन्य छापे लगाए गए हैं) 'अवमानक' शब्द पूरा छापा गया है तथा जो किसी संक्षेप या संकेत शब्द में नहीं लिखा गया है।

3. माल निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करना : (1) निर्माता या, यथास्थिति, निर्यातक, माल को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत करने से पहले, उसमें से ऐसे माल को निकालने के लिये जो अपेक्षित मानक के अनुरूप नहीं है तथा ऐसे ढीले धागों, उलझे सूतों, साफ करने योग्य धब्बों, आदि को सुधारने हेतु जिन्हें सुधारा जा सकता है, माल का स्वयं निरीक्षण करने के लिये उत्तरदायी होगा ।

(2) अबद्ध या पैक किए हुए पूर्व—निरीक्षित माल को ऐसी शेड में निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जाएगा जहां अच्छा प्रकाश हो।

(3) निर्माता या, यथास्थिति, निर्यातक निरीक्षण के लिये ऐसे प्रपत्र में आवेदन करेगा जिसे समिति द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जायेगा ।

4. निरीक्षण निकष :—(1) माल का निरीक्षण निम्न विनिर्देशों तथा दोषों; दोनों के संबंध में किया जायेगा, अर्थात् :—

(एक) विदेशी क्रेता द्वारा अपनी संविदा में अनुबद्ध विनिर्देश विवरणों के बारे में उसकी अपेक्षाओं या संविदा में वर्णित गुण के क्रमांक को निर्धारित करने वाले विनिर्देश विवरणों के अनुसार माल का निरीक्षण किया जाएगा।

(दो) जहां विनिर्देश विवरण अनुबद्ध नहीं किये गये हैं परंतु नौप्रेषण के नमूने के संदर्भ में संविदा की गई है वहां ऐसे नमूने के आधार पर माल का निरीक्षण किया जाएगा।

(दो) रंजित, छपे हुए या रंगीन बुने कपड़ों के बारे में, धुलाई के बाद रंग के पक्केपन की परीक्षा 1966 के भारतीय मानक 765 (परीक्षा 4) या तत्सम मानक के मुताबिक की जायेगी।

(तीन) ऐसे प्रकरण में जहां विदेशी क्रेता नौप्रेषण से पहले अन्य निजी एजेन्सियों को माल के निरीक्षण के लिये नियुक्त करता है, तो निम्न परिस्थितियों में समिति द्वारा माल का पुनर्निरीक्षण नहीं किया जायेगा—

(एक) यदि विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित गुण मानक समिति द्वारा उल्लिखित न्यूनतम गुण मानक से अधिक कठोर है;

(दो) यदि उक्त निजी एजेन्सी द्वारा अपनाए गए मानक तथा निरीक्षण की पद्धति समिति को स्वीकार्य है।

(4) ऐसे प्रकरण में जहां विदेशी सरकारी एजेन्सी द्वारा माल खरीदा जा रहा है यदि उस सरकारी एजेन्सी का प्रतिनिधि नौप्रेषण से पहले माल का निरीक्षण करता है तथा माल के गुण से उसका समाधान हो जाता है, तो माल का समिति द्वारा पुनर्निरीक्षण नही किया जाएगा यदि इस संबंध में उस प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक परेषित माल के बारे में प्रमाणपत्र समिति के पास प्रस्तुत किया गया है।

5. निरीक्षण के लिये प्रतिचयन : (1) जब माल अबद्ध नगों में पेश किया जाता है, तो—

(क) माल के गुण के निरीक्षण के लिये, अर्थात्, बुनाई संबंधी दोषों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिये निरीक्षक, निरीक्षणार्थ पेश की गई पूनियों की कुल संख्या में से 5 टक्के यूनिटें बीचबीच में से चुनेगा, परंतु शर्त यह है कि ये यूनिटें कम से कम 20 और अधिक से अधिक 100 होनी चाहिए;

(ख) विस्तृत निरीक्षण के लिये चुनी गई यूनिटों में से 10 यूनिटों के रचनात्मक विवरणों के लिये परीक्षा की जायेगी अर्थात् प्रति यूनिट लम्बान में तानक सूत तथा बानक सूत लम्बाई, चौड़ाई तथा वजन प्रति वस्त्रखण्ड।

(2) जब माल पैक करके पेश किया जाता है, तो—

(क) निरीक्षण के लिये प्रस्तुत की गई प्रत्येक 5 गांठों, केसों या गत्ताबक्सों या उसके भाग में से निरीक्षक एक एक गांठ, केस या गत्ताबक्स बीच बीच में से चुनेगा, परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक लाट में से अधिक से अधिक 5 गांठों या केस अथवा गत्ताबक्स चुने जाएंगे;

(ख) निरीक्षण के लिये खोली गई गांठों या केसों अथवा गत्ताबक्सों में से, निरीक्षण के लिये प्रस्तुत की गई यूनिटों की कुल संख्या में से, माल के गुण के निरीक्षण के लिये, अर्थात् बुनाई संबंधी दोषों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिये निरीक्षक, 5 टक्के यूनिटें बीच बीच में से चुनेगा, परन्तु शर्त यह है कि ये यूनिटें कम से कम 20 और अधिक से अधिक 100 होनी चाहिए;

(ग) विस्तृत निरीक्षण के लिये चुनी गई यूनिटों में से 10 यूनिटों के रचनात्मक विवरणों के लिये परीक्षा की जायेगी, अर्थात् प्रति यूनिट लम्बान में तानक सूत तथा बानक सूत, लम्बाई, चौड़ाई तथा वजन प्रति वस्त्र खण्ड।

6. परीक्षा के लिये नमूने निकालना :—एक यूनिट का कम से कम एक नमूना तथा प्रति यूनिट का आकार एक मीटर से कम है, तो यूनिटों की ऐसी संख्या जो कम से कम

प्रत्येक लाट में 0.1 मीटर के बराबर होगी, प्रयोगशाला में परीक्षा के लिये ली जायेगी।

7. रद्द करने का निष्कर्ष :—निम्न किन्हीं कारणों वश विनियम 12 के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने हेतु लाट को रद्द किया जाएगा, अर्थात् —

(क) यदि विस्तृत निरीक्षण के लिये चुने गए नमूने में प्रमुख दोषों की संख्या निम्न सारणी के स्तम्भ 2 या, यथास्थिति, 3 में बताई गई संख्या से अधिक है :—

सारणी

निरीक्षण के लिये चुनी गई यूनिटों की संख्या	अनुज्ञेय प्रमुख दोषों की सं०	
	यूनिट का आकार 1 वर्ग मीटर से अधिक	यूनिट का आकार 1 वर्ग मीटर या उससे कम
9 तक	1	–
10 से 19 तक	2	1
20 से 29 तक	3	2
30 से 39 तक	4	3
40 से 49 तक	5	4
50 से 59 तक	7	4
60 से 69 तक	8	5
70 से 79 तक	9	6
80 से 89 तक	10	7
90 से 100 तक	12	8

(ख) यदि नमूने में एक से अधिक भारी दोष है : परन्तु यदि चुने गए नमूने में एक ही भारी दोष नजर आता है, तो उसी आकार का दूसरा नमूना निकाला जाएगा और उसका सिर्फ भारी दोषों का पता लगाने के लिये निरीक्षण किया जाएगा और यदि दूसरे नमूने में दूसरा भारी दोष नजर आता है तो उस लाट को रद्द कर दिया जायेगा;

(ग) यदि काऊन्ट, रचना या आकार के विवरणों हेतु चुने गये और परीक्षित नमूने के औसत निष्कर्ष अस्वीकार्य हैं;

(घ) यदि संविदा में उल्लिखित किन्हीं अन्य विशिष्टियों के बारे में निष्कर्ष संविदा की शर्तों के अनुसार अस्वीकार्य है;

(ङ) यदि जिस नमूने का निरीक्षण किया गया उसमें अनेक छोटे मोटे दोष विद्यमान है जिसके कारण वह माल देखने में घटिया या खराब नजर आता

(च) यदि धुलाई के बाद रंग के धब्बेपन की परीक्षा के लिये लिया गया नमूना भारतीय मानक संस्था के वर्ग 2 के बराबर या उससे अच्छा नहीं ठहरता।

8. अपील की प्रक्रिया :—विनियम 7 में निर्दिष्ट लाट के निरीक्षक द्वारा रद्द किये जाने की अवस्था में, यदि संबंधित पक्षकारों का निरीक्षण के निष्कर्ष से समाधान नहीं होता है, तो उन्हें अपील करने का अधिकार होगा, ऐसे प्रकरणों में वे सद्य वरिष्ठ अधिकारी के पास अपील कर सकेंगे जो उस माल का पुनः निरीक्षण करेगा और संबंधित लाट की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता के बारे में अपना निर्णय देगा। यदि लाट को फिर रद्द किया जाता है तथा यदि पक्षकार अब भी उससे परिवेदित है, तो वे उच्च अधिकारियों के पास अपील कर सकेंगे।

9. अनुज्ञेय छूट—यह अवधारण करते समय कि क्या माल संविदा में अनुबद्ध या अनुमोदित नमूने की रचना और अन्य विशिष्टियों से मेल खाता है या नहीं, निम्न छूट दी जायेगी, यदि विदेशी क्रेता की संविदा में इससे भिन्न छूटों का उल्लेख न हो, अर्थात्—

(क) धागे के काऊन्ट : ±1 काऊन्ट, 20 काऊन्टों में जिसमें 20वां काऊन्ट भी सम्मिलित होगा, ±5%, 20 से अधिक काऊन्ट में

(ख) प्रति यूनिट लम्बान : (1 इंच/2.54 सें० मी०) में : 5% तानक-सूत तथा बानक-सूत।

(ग) वजन : —5% तथा + के लिये कोई मर्यादा नहीं

(घ) आकार—

(एक) टेबल लिनन या मेजपोशों के लिये : $1\frac{1}{2}$% तथा + के लिये कोई मर्यादा नहीं।

(दो) टेबल चटाइयों के लिये : —2% तथा + के लिये कोई मर्यादा नहीं :

टिप्पणी :—उपर्युक्त छूट उन सब यूनिटों के औसत निष्कर्षों को लागू की जायेगी जिनका रचना संबंधी अपेक्षाओं को अवधारित करने के लिये वस्तुतः निरीक्षण किया गया है।

10. रचना संबंधी अपेक्षाओं को अवधारित करने के लिये निरीक्षण :—रचना संबंधी अपेक्षाओं को अवधारित करते समय प्रति औरस यूनिट की लम्बाई चौड़ाई तथा धागों या प्रति यूनिट लम्बाई में तानक सूतों तथा बानक सूतों को प्रत्येक यूनिट में किसी एक स्थान पर निरीक्षक द्वारा मापा जाएगा।

11. पैक करना तथा सील करना :—लाट का निरीक्षण तथा उसे पास किये जाने के पश्चात उस पर अपेक्षित मुहर लगाई जायेगी तथा निरीक्षक के सामने भारतीय मानक संस्था के मानकों के अनुसार या, यथास्थिति, समिति द्वारा समय समय पर यथा विहित रीत्या, उसकी गांठें बांधी

जायेगी या उसे केसों या गत्ताबक्सों में पैक किया जाएगा। इस प्रकार पैक किया गया माल निरीक्षक द्वारा सील किया जाएगा।

12 प्रमाणपत्र :—(1) विनियम 7 के अधीन जिस लाट का निरीक्षण किया गया है तथा जिसे रद्द नहीं किया गया है ऐसे प्रत्येक लाट के बारे में संबंधित पक्षकार को, वस्त्र निर्माण समिति का अधिकार जिसे इस निमित्त समिति द्वारा प्राधिकृत किया गया है, प्रमाणपत्र देगा।

(2) जिस लाट का समिति द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है ऐसे लाट के बारे में माल को निर्यात करने के लिये प्राधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र निम्न परिस्थितियों में दिया जाएगा

(एक) जहां समिति के अतिरिक्त विदेशी क्रेता द्वारा नियुक्त किसी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण किया गया है वहां उक्त एजेन्सी द्वारा निरीक्षण के निष्कर्ष समिति को प्रस्तुत किये जाने पर समिति का समाधान हो गया है कि विनियम 4 के उप विनियम (3) की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है।

(दो) जहां विदेशी सरकारी एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण किया गया है वहां उस प्रतिनिधि द्वारा पूर्ण विवरण देते हुए इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह माल स्वीकार्य दरजे का है।

जी० आर० रेंज, सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

AGRICULTURAL CREDIT DEPARTMENT

CENTRAL OFFICE

Bombay-400018, the 19 September 1978

No. ACD 46 A. 18-78/9.—In pursuance of sub-section (2) of section 36A read with clause (za) of section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the following co-operative banks have ceased to be co-operative banks within the meaning of the said Act:

Sr. No.	Name of the primary co-operative Bank	State
1.	Shree Gujarat State Road Transport Corporation Kutch Division Employees' Co-operative Credit Society Ltd. Vaniavad Gate, Bhuj, Kutch	Gujarat
2.	The Government School Teachers Co-operative Society Ltd. No. K. 191, Kangazha	Kerala
3.	Mattancherry Co-operative Society Ltd. No. 687, Cochin-1	-Do-
4.	The Kottayam District Posts & Telegraphs Employees Co-operative Society Ltd. No. K. 343, Kottayam-1	-Do-
5.	The U. P. Civil Accounts, Office Staff Co-operative credit Society Ltd. Accountant General Office, Uttar Pradesh, Allahabad	Uttar Pradesh
6.	The High Court-Co-operative Society Ltd. Allahabad	-Do-

K. SUBBA REDDY, Additional Chief Officer

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 23rd September 1978

CORRIGENDUM

In the Notice pertaining to State Bank of India published on page 1456 in the Gazette of India, Part III—Section 4, week-ending the 26th August 1978, the year appearing in the last line is rectified as follows :—

For : '1971'
Read : '1981'

Sd. ILLEGIBLE
Managing Director

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Madras-600034, the 31st August 1978

No. 8SCA(1)/6/78-79.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations 1964, it is hereby notified that the certificate of practice issued to the following members shall stand cancelled from the date mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Cancellation
1.	4703	Shri P. S. Subramania Iyer ACA 15, Vankatraman Street Srinivas Avenue Madras-600028	1-4-1978
2.	7460	Shri A. Arjuna Pai FCA No. 4, I Cross Road Kasturibanagar Adayar Madras-600020	31-7-1978
3.	8662	Shri V. C. Srinivasaiengan FCA Internal Auditor Central Bank of India 16/17, Second Line Beach Madras-600001.	19-6-1978
4.	10092	Shri L. R. S. Ramamoorthy ACA Officer-Finance Tamil Nadu Industrial Investment Corpn. Ltd. 26, Whites Road Madras-600014.	31-7-1978
5.	15717	Shri K. Prabhakara Reddy ACA 3-468-3, Lakshmipuram Nellore.	1-4-1978
6.	18546	Shri Babu Guru Thirumalaisamy ACA No. 97, Dalavoy Street Vadeveeswaram Nagercoil-629002.	31-7-1978
7.	18826	Shri C. Ramachandra Rao ACA H. No. 81, MIGH Mehdipatnam Hyderabad-500028.	1-11-1977
8.	18830	Shri Sondur Anantha ACA No. 919, Mathru Chaya 13th Main, 4th Cross Hanumanthnagar Bangalore-560019.	31-7-1978
9.	19379	Shri T. M. Uduman Ali ACA Room No 3, Krisco Mansion Teapkulam Street Tuticorin-628002.	1-4-1978
10.	19489	Shri S. Shereef Hussain ACA House No. V/174 Keezhkunnu Collectorate P.O. Kottayam-2	31-7-1978
11.	19500	Shri N S. Sankaran ACA 12-B, Customs Colony Basant Nagar Madras-600090.	31-7-1978

No. 5SCA(1)/8/78-79.—With reference to this Institute's Notification Nos. 4SCA-78A(1)/12/75-76 dated 20th March, 1976 and 4SCA (1)/8/77-78 dated 13th February 1978 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the date mentioned against their names the names of the following gentleman:—

S N	M. No.	Name & Address	Date of Restoration
1	968	Shri K. Ramamurthy A. C. A. Chartered Accountant 57, Mehdipatnam Hyderabad-500028	5-8-1978
2	093	Shri M. Krishnamurthi A. C. A. Regional Internal Auditor Tanzania Cotton Authority PostBox 61 Mwanza Tanzania East Africa	16-8-1978

P. S. GOPALAKRISHNAN,
Secretary

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 19th September 1978

No. X-11/14/5/78-(P & D).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation(1)of Regulation 5 of the Employees State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the State Government of Bihar Notification No.II/Ins. I-2068/77 I & E dated 1-3-1978 issued under sub-section (5) of section 1 of the ESI Act, 1948, extending the provisions of the said Act to the establishments described therein, the first contribution and first benefit periods for sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in insurable employment on the appointed day of midnight of 26th August, 1978, as indicated in the table given below:—

Set	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A	26-8-1978	27-1-1979	26-5-1979	27-10-1979
B	26-8-1978	31-3-1979	26-5-1979	29-12-1979
C	26-8-1978	25-11-1978	26-5-1979	25-8-1979

No. X-11/14/5/78-P&D(2).—In pursuance of the powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948(34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 27th August, 1978 as the date from which the medical benefit as laid down in the said Regulation 95-A and the Bihar Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951, shall be extended to the families of Insured persons in the areas specified in the State Government of Bihar Notification No. I/Ins.I-2068/77 I.&E dated 1-8-1978.

FAQIR CHAND,
Director (Plg. & Dev.)

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Amendments to the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960

In exercise of the powers conferred by Clauses (b) and (bb) of Sub-Section (2) of Section 49 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) the Life Insurance Corporation of India, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960, namely :—

1. These Regulations may be called the Life Insurance Corporation of India (Staff) Amendment Regulations, 1978.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960, in Schedule II, in Part 'E' City Compensatory Allowance, in item (i) in Clause (c) and in item (ii) in Clause (a) after the word 'Amritsar" in both the Clauses, the word "Bhopal" shall be inserted.

J. MATTHAN,
Managing Director

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION

TEXTILES COMMITTEE

Bombay-9, the 16th September 1978

No. 80(16)/78/AD.—In exercise of the powers conferred by section 23, read with sub-clause (d) and (e) of sub-section (2) of section 4 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Textiles Committee with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :—

1 *SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND APPLICATION* : (1) These regulations may be called the "Mill-made and Powerloom Cotton Made-up Articles (Handkerchiefs) Inspection, Regulations, 1978".

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Offical Gazette.

(3) They shall apply to the Mill-made and powerloom cotton made-up handkerchiefs meant for export.

2. *DEFINITIONS* : In these Regulations, unless the context otherwise requires—

(a) "Committee" means the Textiles Committee established under section 3 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963);

(b) "Inspector" means the person deputed to inspect the material;

(c) "lot" means the quantity of the material purporting to be one definite type and quality;

(d) "major flaw" means—

(i) bar due to the difference in raw material, count twist, lustre, colour, shade or spacing of threads or adjacent groups of yarn;

(ii) more than two adjacent threads (warp or weft way) broken or missing and extending beyond 5 cm ;

(iii) noticeable warpor weft float;

(iv) noticeable and unwashable oil or other stain;

(v) conspicuous broken pattern;

(vi) wrong border;

(vii) gout due to foreign matter usually lint or waste woven in;

(viii) noticeable oily weft;

(ix) defective hemming for stitching extending over 2.5 cm. in length;

(x) blurred or dark patch;

(xi) patchy or streaky or uneven dyeing;

(xii) dye bar;

(xiii) printing defect caused by non-alignment of printing screen or roll;

(xiv) prominently noticeable uneven printing or tinting;

(xv) prominent printing defect caused by hanging thread;

(xvi) printing defect caused by cloth being wrinkled;

(xvii) doctor's stain or line;

(xviii) shape of the unit being not square or rectangle, apprently; and

(xix) any other flaw of similar nature and magnitude;

(e) "material" means mill-made or powerloom cotton made-up handkerchiefs, but excludes sub-standard material;

(f) "minor flaw" means any noticeable flaw not defined as a major flaw or a serious flaw;

(g) "serious flaw " means—

(i) undressed snarls noticeable throughout the piece;

(ii) smash definitely rupturing the texture of piece;

(iii) noticeable hole, cut or tear in the piece;

(iv) absence of border where the same is required;

(h) "sub-standard material" means defective material clearly marked on the individual retail pieces or packets (wherever other markings are made) with the word "sub-standard" in full and not by any abbreviation or other code.

3. OFFERING OF MATERIAL FOR INSPECTION :

(1) The manufacturer or exporter, as the case may be, shall be responsible for carrying out inspection of the material prior to offering the same for inspection so as to eliminate any material which is not upto the required standard and to rectify the rectifiable defects such as loose threads, snarls, removable stains, etc.

(2) The pre-inspected material shall be offered for inspection either in loose or packed condition in a well-lighted shed.

(3) The manufacturer or exporter, as the case may be, shall apply for inspection in the proforma as may be specified by the Committee from time to time.

4. INSPECTION CRITERIA :

(1) Inspection of the material shall be both with reference to the following specifications and flaws, namely :—

(i) the material shall be inspected according to the requirements of the foreign buyer in respect of the specification particulars stipulated in his contract or specification on particulars governing the quality number mentioned in the contract;

(ii) where the specification particulars are not stipulated but the contract is with reference to shipment sample, the material shall be inspected on the basis of such sample.

(2) In the case of dyed, printed or coloured woven material, test for fastness to washing as per I.S.765 of 1966 (Test-4) or the equivalent shall be carried out.

(3) In the case of foreign buyer nominating other private agency to inspect material before shipment, the material may not be re-inspected by the Committee, provided that

(i) the quality standards of the foreign buyer are more stringent than the minimum quality standard laid down by the Committee.

(ii) the standards and methods of inspection employed by the said private agency are acceptable to the Committee.

(4) In case of purchase by a foreign Government agency, if the representative of that agency inspects the material before shipment and is satisfied with its quality, the material may not be re-inspected by the Committee, provided a certificate to that effect from that representative is produced, consignment-wise to the Committee.

5. *Sampling for Inspection* :

(1) Then the material is offered in loose condition,—

(a) the Inspector shall select at random 5% of the total number of units offered for inspection subject to a minimum of 20 and a maximum of 100 units for inspection for quality, viz., presence of weaving and other flaws;

(b) 12 units of those selected for detailed inspection shall be examined for construction particulars such as threads per square inch, length, width and weight per dozen.

(2) When material is offered in packed condition,—

(2) the Inspector shall select at random one bale or case or carton out of every 5 bales or cases or cartons or part thereof offered for inspection subject to a maximum of 5 bales or cases or cartons per lot. Out of the bales or cases or cartons opened for inspection, the Inspector shall select at random 5% of the total number of units offered for inspection subject to a minimum of 20 units and a maximum of 100 units for inspection for quality, viz., presence of weaving and other flaws;

(b) 12 units, out of those selected for detailed inspection, shall be examined for constructional particulars, such as threads per square inch, length, width and weight per dozen.

6. *DRAWING OF SAMPLES FOR TEST* :

A minimum of 3 units for every lot shall be drawn as sample for laboratory tests.

7. *ALLOCATION OF BLACK MARK PAINTS ON DIFFERENT TYPES OF FLAWS* :

(i) one back-mark point for a minor flaw;

(ii) two black-mark points for a major flaw;

(iii) four black-mark points for a serious flaw.

8. *REJECTION CRITERIA* :

The lot shall be rejected for the purpose of issuing the certificate under regulation 13 for any of the following reasons, namely :—

(a) if the number of black-mark points in the sample selected for detailed inspection exceeds the number indicated in the table below :—

Number of units selected for inspection	Number of black-mark points permissible
(1)	(2)
Upto 19	2
20 to 39	4
40 to 59	6
60 to 79	8
80 to 100	10

(b) if the unit length (inch/2.54 cms) average of (i) threads per square or (ii) weight per dozen or (iii) length or width determined from the units selected for construction particulars do not conform to the specification particulars stipulated in the foreign buyer's contract of the approved sample;

(c) if the findings for any other characteristics stipulated in the contract are not acceptable as per the contract;

(d) if the sample tested for fastness to washing does not come upto the Class 3 or better of the ISI rating.

9. PROCEDURE FOR APPEAL :

In the case of rejections of a lot referred to in Regulation 8 by the Inspector, if the concerned parties are not satisfied with the inspection findings, they shall have the right of appeal. In such cases, they may appeal to the immediate superior officer who shall re-inspect the material and give his verdict regarding acceptability or otherwise of the lot in question. If the lot is again rejected and if the parties still feel aggrieved, they may appeal to the higher authorities.

10. PERMISSIBLE TOLERANCE :

When determining whether the material conforms to the construction and other particulars stipulated in the contract or approved sample, the following tolerances shall be allowed, unless different tolerances are specified in the foreign buyer's contract; namely :—

(a) Counts of yarn . . .	± 5%
(b) Threads pet unit length (inch/2·54 cms.) . .	± 5%
(c) Weight per dozen .	— 5% and no limit on plus side.
(d) Length and width . . .	— 0·63 cms/¼ inch + 1·27 cms/½ inch

NOTE :—The above tolerances shall be applied to the average of the findings of all the units actually inspected for construction.

11. INSPECTION FOR CONSTRUCTION :

When determining the construction particulars, the Inspector shall observe the following directions, namely :—

(a) dimensions shall be measured at one place per unit;

(b) one reading for threads per unit length will be taken for each unit.

12. PACKING AND SEALING :

The lot inspected and passed shall be marked with the required stamps and packed into bales or cases or cartons as per the I.S.I. standards or as may be specified by the Committee from time to time in the presence of the Inspector, and the material so packed shall be sealed by the Inspector.

13. CERTIFICATION :

(1) In respect of each lot inspected and not rejected under Regulation 8, a certificate shall be issued to the party concerned by an Officer of the Committee authorised by the Committee in this behalf.

(2) In respect of lot not inspected by the Committee, a certificate authorising the material for export shall be issued,—

(i) where inspection is done by an agency, other than the Committee, nominated by the foreign buyer, after the inspection findings are submitted to the Committee by the said agency and the Committee is satisfied that the requirements of sub-regulation (3) of regulation 4 have been fulfilled;

(ii) where inspection is done by the representative of a foreign Government agency, after production of a certificate, consignment-wise with full particulars, from that representative to the effect that the material is of an acceptable quality.

No. 80(16)/78-AD.—In exercise of the powers conferred by section 23, read with sub-clause (d) and (e) of sub-section (2) of section 4 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Textiles Committee with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations, namely :—

1. SHORT TITLE, COMMENCEMENT AND APPLICATION : (1) These regulations may be called the Mill-made and Powerloom Cotton Made-up Articles (Table Linen, Table Cover and Table Mats) Inspection Regulations, 1978.

(a) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the Mill-made and Powerloom Cotton Made-up—Table Linen, table covers and table mats meant for export.

2. DEFINITIONS : In these regulations, unless the context otherwise requires :

(a) "Committee" means the Textiles Committee established under section 3 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963);

(b) "Inspector" means the person deputed to inspect the material;

(c) "Lot" means the quantity of the material purporting to be of one definite type and quality;

(d) "Major flaw" means—

(i) weft crack of more than 2 missing picks across the width of the piece;

(ii) prominently noticeable weft bar due to the difference in raw material, count, twist, lustre, colour, shade or pick spacing of adjacent groups of weft yarn;

(iii) more than two adjacent ends running parallel, broken or missing and extending beyond 15 cm./5.91 inches and 7.5 cm./2.95 inches in the case of table mats;

(iv) prminent selvadge defect;

(v) prominently noticeable warp or weft float;

(vi) prominently noticeable and unwashable oil or other stain;

(vii) prominently noticeable oily weft;

(viii) prominently noticeable slubs or slubby weft;

(ix) conspicuous broken pattern;

(x) wrong border;

(xi) gout due to foreign matter usually lint or waste woven-in;

(xii) defective hemming or stitching extending over 2.5 cm. in length;

(xiii) blurred or dark patch;

(xiv) patchy or streaky or uneven dyeing;

(xv) dye bar;

(xvi) printing defect caused by non-alignment of printings screen or roll;

(xvii) uneven printing or tinting;

(xviii) prominent printing defect caused by hanging thread;

(xix) printing defect caused by cloth being wrinkled;

(xx) bad printing or dyeing on selvedge mainly due to selvedge crease;

(xxi) doctor's stain or line; and

(xxii) any other flaw of similar nature and magnitude

(e) "material" means mill-made or powerloom cotton made-up table linens, table covers or table mats but does not include sub-standard material;

(f) "serious flaw" means—

(i) more than one adjacent end missing and running throughout or more than three ends missing at a place and running over 60 cm./23.62 inches or prominently noticeable double ends running throughout the piece;

(ii) undressed snarls noticeable throughout the piece;

(iii) smash definitely rupturing the texture;

(iv) noticeable hole, cut or tear;

(v) defective or damaged selvedge throught the piece;

(vi) absence of border where border is required.

(g) "sub-standard material" means defective material which are clearly marked on the individual retail pieces or packets (wherever other marking are made) with the word "sub-standard" in full and not by any abbreviation or other code.

3 OFFERING OF MATERIAL FOR INSPECTION

(1) The manufacturer or exporter, as the case may be shall be responsible for carrying out inspection of the material prior to offering the same for inspection so as to eliminate any material which is not upto the required standard and to rectify the rectifiable defects such as loose threads, snarls, removable stains, etc.,

(2) The pre-inspected material shall be offered for inspection either in loose or packed condition in a well-lighted shed.

(3) The manufacturer or exporter, as the case may be shall apply for inspection in the proforma as may be specified by the Committee from time to time.

4. INSPECTION CRITERIA

(1) The inspection of the material shall be both with reference to the following specifications and flaws, namely :—

(i) the material shall be inspected according to the requirements of the foreign buyer in respect of specification particulars stipulated in his contract or specification particulars governing the quality number mentioned in the contract.

(ii) where the specification particulars are not stipulated but the contract is with reference to shipment sample, the material shall be inspected on the basis of such sample.

(2) In the case of dyed, printed or coloured woven material, test for fastness to washing as per IS 765 of 1966 (Test 4) or the equivalent shall be carried out

(3) In the case of foreign buyer nominating other private agencies to inspect material before shipment, the material may not be re-inspected by the Committee, provided that—

(i) the quality standards of the foreign buyer are more stringent that the minimum quality standard laid down by the Committee;

(ii) the standards and methods of inspection employed by the said private agency are acceptable to the Committee.

(4) In the case of purchase by a foreign Government agency, if the representative of that agency inspects the material before shipment and is satisfied with its quality, the material may not be reinspected by the Committee, provided a certificate to that effect from that representative is produced, consignment-wise to the Committee.

5. SAMPLING FOR INSPECTION :

(1) When the material is offered in loose condition—

(a) the Inspector shall select at random 5% of the total number of units offered for inspection subject to a minimum of 20 and a maximum of 100 units for inspection for quality, viz., presence of weaving and other flaws;

(b) 10 units out of those selected for detailed inspection shall be examined for construction particulars such as ends and picks per unit length, length, width and weight per piece.

(2) When the material is offered in packed condition—

(a) the Inspector shall select at random one bale or case or carton out of every five bales or cases or cartons or part thereof offered for inspection subject to a maximum of five bales or cases or cartons per lot;

(b) from out of the bales or cases or cartons opened for inspection, the Inspector shall select at random 5% of the total number of units offered for inspection subject to a minimum of 20 and and a maximum of 100 units for inspection for quality, viz. presence of weaving and other flaws;

(c) 10 units out of those selected for detailed inspection shall be examined for construction particulars, such as ends and picks per unit length, length, width and weight per piece.

6. DRAWING SAMPLES FOR TEST

A minimum of one sample of one unit and if the unit size is less than a metre such number of units that shall make at least 0.9 metre for every lot shall be drawn for laboratory test.

7. REJECTION CRITERIA

The lot shall be rejected for the purpose of issuing the certificate under regulation 12 for any of the following reasons, namely :—

(a) if the number of major flaws in the sample selected for detailed inspection exceeds the number indicated

in the column 2 or 3, as the case may be, of the Table below :

TABLE

Number of Units selected for	Number of major flaws permissible	
	Area of unit above 1 sq. metre	Area of of unit 1 sq. metre or below
Upto 9	1	..
10 to 19	2	1
20 to 29	3	2
30 to 39	4	3
40 to 49	5	4
50 to 59	7	4
60 to 69	8	5
70 to 79	9	6
80 to 89	10	7
90 to 100	12	8

(b) if the sample contains more than one serious flaw : Provided that if only one serious flaw is seen in the sample selected, a second sample of the same size shall be drawn and inspected for serious flaws only and if another serious flaw is observed in the second sample, the lot shall be rejected;

(c) if the average of the findings of the sample selected and examined for counts, construction or dimentional particulars is unacceptable;

(d) if the findings for any other characteristics stipulated in the contract are unacceptable as per terms of the contract;

(e) if too many minor flaws are noticed in the sample inspected such as to render the material poor or shoddy in appearance;

(f) if the sample tested for fastness to washing does not come Class 3 or better of the ISI rating.

8. PROCEDURE FOR APPEAL :

In the case of rejections of a lot referred in regulation 7 by the Inspector, if the concerned parties are not satisfied with the inspection findings, they shall have the right of appeal. In such cases, they may appeal to the immediate superior officer who shall re-inspect the material and give his verdict regarding acceptability or otherwise of the lot in question. If the lot is again rejected and if the parties still feel aggrieved, they may appeal to the higher authorities.

9. PERMISSIBLE TOLERANCES :

When determining whether the material conforms to the construction and other particulars stipulated in the contract or approved sample, the following tolerances shall be allowed, unless different tolerances are specified in the foreign buyer's contract, namely—

(a) Counts of yarn . . ± 1 count for counts upto and including 20 s.
± 5% for counts above 20s.

(b) Ends & pick per unit length (one inch/2·54 cms.) . ± 5%

(c) Weight . . . . . —5% and no limit on plus side.

(d) Dimensions—

(i) for Table Linen or Table Covers — 1-½% and no limit on plus side.

(ii) for Table Mats . . . — 2% and no limit on plus side.

NOTE : —The above tolerances are to be applied to the average of the findings of all the units actually inspected for construction.

10. INSPECTION FOR CONSTRUCTION :

When determining construction particulars, dimensions and threads per unit sq. length or ends and picks per unit length shall be measured at one place per unit by the Inspector.

11. PACKING AND SEALING :

The lot inspected and passed shall be marked with the required stamps and packed into bales or cases or cartons as per the I.S.I. Standards or as may be specified by the Committee from time to time in the presence of the Inspector. The material so packed shall be sealed by the Inspector.

12. CERTIFICATE :

(1) In respect of each lot inspected and not rejected under regulations 7, a certificate shall be issued to the party concerned by an Officer of the Textiles Committee authorised by the Committee in this behalf.

(2) In respect of a lot not inspected by the Committee, a certificate authorising the material for export shall be issued :

(i) where inspection is done by an agency, other than the Committee, nominated by the foreign buyer, after the inspection findings are submitted to the Committee by the said agency and the Committee is satisfied that the requirements of sub-regulation (3) of regulation 4 have been fulfilled;

(ii) where inspection is done by the representative of a foreign Government agency, after production of a certificate consignment-wise with full particulars from that representative to the effect that the material is of an acceptable quality.

G. R. RENZU,
Secretary,
Textiles Committee.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978